भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 654
उत्तर देने की तारीख 01 दिसम्बर, 2021

आदिवासी क्षेत्रों में संचार सेवाएं

654. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल; डॉ हिना विजयकुमार गावीत; डॉ सुजय विखे पाटील; डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे; श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी गांवों को दूरसंचार सुविधाओं, विशेष रूप से मोबाइल टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ा गया है और यदि हां तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे गांवों और उनके आदिवासी क्षेत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सभी गांवों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य और कार्य योजना, यदि कोई हो तो का ब्यौरा दें;
(ग) इंडिया पोस्ट बैंक (आईपीपीबी) की सथिति और इस बैंक की स्थापना द्वारा प्रदान किए जाने वाले/संभावित लाभ क्या है; और
(घ) आईपीपीबी द्वारा देश में अब तक खोली गई शाखाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और देश के सभी राज्यों में इसकी शाखाएं कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 50% से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले 93 जिलों के 80% आबादी वाले गांवों की तुलना में देश के 96% आबादी वाले गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-। में संलग्न है।

(ख) भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, सीमांत क्षेत्रों, इच्छुक जिलों और द्वीपों सहित देश के ग्रामीण तथा मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के शेष गांवों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया गया है। सरकार द्वारा दूरसंचार कनेक्टिविटी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। में संलग्न है।

(ग) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय, डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसमें 100% इक्विटी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। आईपीपीबी ने दिनांक 01.09.2018 को राष्ट्रीय स्तर पर 650 शाखाए/नियंत्रण कार्यालय यानी देश के प्रत्येक जिले में लगभग एक के साथ शुरूआत की है। आईपीपीबी ने बैंकिग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.36 लाख डाक घरों को सक्षम बनाया है और लगभग 1.86 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को पेपरलेस खाता खोलने, नकदी जमा करने/निकालने, एईपीएस, घरेलू मुद्रा अंतरण (डीएमटी), सरकार से नागरिकों (जी

2सी) को भुगतान, बिल भुगतान सेवाएं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), जीवन बीमा और सामान्य बीमा सेवा के साथ मिलकर आधार के लिए मोबाइल नम्बर को अद्यतन करने के लिए घरों तक सेवाएं उपलब्ध कराने सहित घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ लैस कर दिया है।

(घ) इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक (आईपीपीबी) ने देश के प्रत्येक जिले में लगभग एक यानी 650 शाखाएं/ नियंत्रण कार्यालय स्थापित किए हैं।

अनुबंध-I

माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 01.12.2021 को "जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं" के संबंध में पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 654 के उत्तर के पैरा (क) के संदर्भ में उललिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनजातीय जिलों की संख्या	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी वाले गांवों की कुल संख्या	दिसंबर 2020 को मोबाइल कनेक्टिविटी वाले आबादी वाले गांवों की संख्या	दिसंबर 2020 को मोबाइल कनेक्टिविटी रहित आबादी वाले गांवों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	90	37	53
2	आंध्र प्रदेश	1	3072	1946	1126
3	अरुणाचल प्रदेश	13	4361	2305	2056
4	असम	2	3388	2861	527
5	छत्तीसगढ	5	5256	4446	810
6	दादरा और नगर हवेली	1	65	65	0
7	गुजरात	6	3329	3062	267
8	हिमाचल प्रदेश	2	521	402	119
9	झारखंड	5	4139	3664	475
10	कर्नाटक	1	679	678	1
11	लद्दाख	2	236	172	64
12	लक्षद्वीप	1	6	5	1
13	मध्य प्रदेश	6	5598	5128	470
14	महाराष्ट्र	1	930	744	186
15	मणिपुर	5	2082	1623	459
16	मेघालय	7	6459	4785	1674
17	मिजोरम	8	704	498	206
18	नगालैंड	11	1400	1256	144
19	ओडिशा	8	15652	11145	4507
20	राजस्थान	3	3427	3374	53
21	सिक्किम	1	52	44	8
22	त्रिपुरा	1	148	131	17
23	उत्तर प्रदेश	2	3181	3162	19
	कुल	**93**	**64775**	**51533**	**13242**

अनुबंध-II

माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 01.12.2021 को "जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं" के संबंध में पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 654 के उत्तर के पैरा (ख) के संदर्भ में उललिखित अनुबंध

(क) भारतनेट परियोजना की सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**इस दिनांक तक सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित)**		
		मार्च-19	**मार्च-20**	**मार्च-21**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8	24
2	आंध्र प्रदेश	1407	1648	1709
3	अरूणाचल	108	335	666
4	असम	1621	1622	1627
5	बिहार	5876	8461	8825
6	चंडीगढ़	13	13	13
7	छत्तीसगढ	4074	4925	7598
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	39	39
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	5449	11771	13517
11	हरियाणा	6187	6189	6203
12	हिमाचल प्रदेश	227	281	371
13	जम्मू और कश्मीर	655	875	1010
14	झारखंड	2388	2570	3742
15	कर्नाटक	6117	6246	6247
16	केरल	1129	1129	1129
17	लद्दाख	50	167	184
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	12706	13109	15351
20	महाराष्ट्र	15173	15843	19155
21	मणिपुर	322	953	1429
22	मेघालय	187	256	580
23	मिजोरम	32	235	422
24	नगालैंड	98	129	222
25	ओडिशा	3616	4186	6071
26	पुदुचेरी	101	101	101
27	पंजाब	7945	12676	12803

28	राजस्थान	8564	8817	8979
29	सिक्किम	17	28	28
30	तमिलनाडु	0	0	0
31	तेलंगाना	2047	2047	3748
32	त्रिपुरा	529	690	737
33	उत्तर प्रदेश	28207	29157	31531
34	उत्तराखंड	1508	1530	1565
35	पश्चिम बंगाल	2128	2373	2498
	कुल	**118519**	**138409**	**158124**

(ख) सेवा से वंचित 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गांवों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**इस दिनांक तक कवर किए गए गांवों की संख्या**		
		मार्च-19	**मार्च-20**	**मार्च-21**
1	बिहार	0	0	8
2	गुजरात	0	0	16
3	हिमाचल प्रदेश	0	0	4
4	जम्मू	0	0	12
5	कर्नाटक	0	0	3
6	कश्मीर	0	0	11
7	राजस्थान	0	0	24
8	उत्तर प्रदेश	0	0	2
9	उत्तराखंड	0	0	14
10	पश्चिम बंगाल	0	0	1
	कुल	**0**	**0**	**95**

नोट: सेवा से वंचित 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2020 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल सेवाओं (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज हेतु गांवों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**राज्य**	**इस दिनांक को गांवों की संख्या**		
		मार्च-19	**मार्च-20**	**मार्च-21**
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
2	असम	82	443	530

3	मणिपुर	12	276	382
4	मिजोरम	9	172	213
5	नगालैंड	2	96	112
6	त्रिपुरा	0	0	0
7	सिक्किम	0	7	8
	कुल	105	994	1245

नोट: अरूणाचल प्रदेश में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग वाले स्थल शामिल हैं।

<u>अनुबंध-III</u>

माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 01.12.2021 को "जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं" के संबंध में पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 654 के उत्तर के पैरा (घ) के संदर्भ में उललिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों की कुल सं.
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	24
3	अरुणाचल प्रदेश	10
4	असम	26
5	बिहार	38
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ	27
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	गोवा	2
10	गुजरात	31
11	हरियाणा	20
12	हिमाचल प्रदेश	12
13	जम्मू और कश्मीर	7
14	झारखंड	22
15	कर्नाटक	31
16	केरल	14
17	लक्षद्वीप	1
18	लद्दाख	1
19	मध्य प्रदेश	42
20	महाराष्ट्र	40
21	मणिपुर	9
22	मेघालय	8
23	मिजोरम	6
24	नगालैंड	9
25	ओडिशा	33
26	पुदुचेरी	2
27	पंजाब	21
28	राजस्थान	33
29	सिक्किम	1

30	तमिलनाडु	35
31	तेलंगाना	23
32	दिल्ली के एनसीटी	3
33	त्रिपुरा	5
34	उत्तर प्रदेश	73
35	उत्तराखंड	12
36	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	**650**

*****